## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या—5 न0वि0/गठन—16/2020— 516

अधिसूचना
/ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले कैमूर जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या—4292 दिनांक—26. 12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :—

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना नं0	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	प्रस्तावित नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011जनगणना के आधार पर)
1	2	.3	4	5	6
01	नगर पंचायत रामगढ़	रामगढ़–214 गोड़सरा–215 बन्दीपुर–216	रामगढ़ (आंशिक) बांदीपुर (आंशिक)	उत्तर—अकोढ़ी—217 दक्षिण—अंशी—444 (बेचिरागी) पूरब—दुर्गावती नदी पश्चिम—डहकर—180	18152

- 2. इस क्षेत्र को नगर पंचायत कहा जायेगा।
- 3. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ज्ञापांक—5 नव्यवि० / गठन—16 / 2020— 516 / नव्यवि० पटना, दिनांक— ि निर्माण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

शापांक-5 न0वि0/गठन-16/2020- /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-। प्रिक्ट प्राचित्र)
प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सचिव, के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के स्क्री सर्वित ।

ज्ञापांक – 5 न0वि० / गठन – 16 / 2020 – 5 | 6 / न0वि० एवंआ०वि०, पटना, दिनांक – 10 / 2020 ।

प्रतिलिपिः – सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना / निदेशक, जनगणना निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के संस्कृत सिन्ध ।